न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम्, खगड़िया।
अग्रिम जमानत आवेदन सं0–270/2026
मुफ्फसिल थाना काण्ड सं0–155/25

अमन कुमार – बनाम् – बिहार राज्य

उपस्थित
संजय कुमार–।।,
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम्,
खगड़िया।

04.04.2026

आवेदक/अभियुक्त **अमन कुमार** की ओर से मुफ्फसिल थाना काण्ड सं0–155/25, धारा–103(1)/3(5) BNS के अन्तर्गत दर्ज मामले में गिरफ्तारी की आशंका के अधीन, यह अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया है, जो शपथ–पत्र से समर्थित है, को उनके विद्वान् अधिवक्ता श्री अमित कुमार के द्वारा प्रचालित किया गया।

अग्रिम जमानत के बिन्दु पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से कथन किया गया है कि आवेदक निर्दोष है एवं उन्होंने कोई अपराध कारित नहीं किया है। आवेदक की ओर से इस जमानत आवेदन के अतिरिक्त अन्य कोई जमानत आवेदन अन्य किसी वरीय न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। सूचक घटना का प्रत्यक्षदर्शी नहीं है, हालांकि प्राथमिकी और धारा–180 BNSS के तहत दर्ज अन्य गवाहों के बयानों के अवलोकन से यह गैर इरादतन हत्या का मामला हो सकता है, जो धारा–105 BNSS के तहत दंडनीय है, क्योंकि साक्ष्य स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि मृतक और अन्य अभियुक्तों के बीच प्रारंभिक कहासुनी के कारण मृतक को काबू में करने के लिए उसकी पिटाई की गई, जिसके परिणामस्वरूप उसे चोटें आईं। यह स्वीकार किया गया तथ्य है, जैसा कि सूचक और अन्य गवाहों ने बताया है कि मृतक और अभियुक्तों के बीच कोई दुश्मनी नहीं थी और कथित यह घटना मृतक को नियंत्रण में रखने के लिए घटी थी, जिसे नशामुक्ति केंद्र में भर्ती कराया गया था और इस प्रकार, प्राथमिकी के साथ–साथ जांच अधिकारी द्वारा अबतक एकत्र किए गए साक्ष्यों से यह स्पष्ट है

न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम्, खगड़िया।
अग्रिम जमानत आवेदन सं0–270/2026
मुफ्फसिल थाना काण्ड सं0–155/25

लगातार
04.04.2026

कि उसकी हत्या करने का कोई इरादा नहीं था। आवेदक अनुराग आनंद द्वारा संचालित नशामुक्ति केंद्र में मात्र एक कर्मचारी था और जिसके विरूद्ध अभियोजन पक्ष का एक सामान्य और व्यापक आरोप है कि वह अभियुक्तों का सदस्य था। आवेदक के खिलाफ आरोप केवल सुनी–सुनाई बातों पर आधारित हैं। किसी भी गवाह ने यह नहीं कहा है कि उसने घटना देखी है। परिणामस्वरूप, आवेदक की अपराध में संलिप्तता अत्यंत ही असंभव है। यहां तक कि आवेदक की संलिप्तता के विरूद्ध अभियोजन पक्ष की कहानी भी अविश्वसनीय हो जाती है, क्योंकि लिखित रिपोर्ट यानि एफआईआर में उसका नाम नहीं है। बाद में उसका नाम केस डायरी में मनगढ़ंत तरीके से दर्ज किया गया, जबकि नशामुक्ति केंद्र में एक से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। सह–अभियुक्त चाहत कुमार के इकबालिया बयान की स्वीकार्यता के संबंध में, कानून की दृष्टि में, इसके कोई कानूनी परिणाम नहीं होंगे। इसलिए, पूरी जांच में आवेदक के विरूद्ध कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है। आवेदक के मामले से अन्य सह–अभियुक्त ब्रजेंद्र कुमार उर्फ बल्ली का मामला अलग है, क्योंकि सह–अभियुक्त को कथित घटनास्थल पर गिरफ्तार किया गया था और वह खगड़िया नशामुक्ति केंद्र के निवासियों में से एक था। आवेदक BNSS की धारा–482 के तहत निर्धारित शर्त और विद्वान न्यायालय द्वारा निर्धारित अन्य शर्तों का पालन करने का वचन देता है। अतः उक्त तथ्यों के आलोक में आवेदक/अभियुक्त को अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान किये जाने का निवेदन करते हैं।

विद्वान अपर लोक अभियोजक के द्वारा अग्रिम जमानत का पुरजोर विरोध किया गया।

सूचक के लिखित आवेदनानुसार, अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि सूचक का भाई इम्तियाज आलम रिबार्न फाउंडेशन, नशामुक्ति केन्द्र, नन्हकू मंडल टोला, सैनिक

न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम्, खगड़िया।
अग्रिम जमानत आवेदन सं0–270/2026
मुफ्फसिल थाना काण्ड सं0–155/25

लगातार
04.04.2026

होटल, खगड़िया के नजदीक में दिनांक 03.11.2025 को सुबह 09:40 बजे सुबह को भर्ती गया गया था, जो कि उसे चार व्यक्ति घर से लेकर गया थे, उसके साथ नशामुक्ति केन्द्र के अन्दर ईलाज के नाम पर बुरी तरह से संचालक अपने 4–5 सहयोगियों के साथ रॉड, लाठी–डंडा, लात–मुक्के से बुरी तरह से मारपीट किया। मारपीट करने के बाद उसके भाई इम्तियाज आलम को दिनांक 06.11.2025 को समय 11 से 12 बजे के करीब नाजूक हालत में चन्दन बाबू मेमोरियल अस्पताल, बेगूसराय में भर्ती कर दिया गया। भर्ती करने के बाद परिजनों को दिनांक 07.11.2025 को लगभग दोपहर 12 बजे मोबाईल से सूचना दिया कि आपका भाई बीमार है और बेगूसराय में भर्ती है, जब परिजन चन्दन बाबू मेमोरियल अस्पताल पहुँचे तो दिखा कि उसका भाई इम्तियाज आलम कोमा में वेन्टीलेटर पर आई.सी.यू. में भर्ती था। डॉक्टर से बात करने पर बताया कि आपके भाई के साथ बुरी तरह से मारपीट किया गया है, उसके सिर पर गम्भीर चोट लगने से सर में ब्लड जमा हो गया है। इसे हायर सेन्टर ले जाया जाय, तब सूचक के भाई को सिल्लीगुड़ी अस्पताल सी.एस.एस.एच. रेफर किया, जहाँ पहुँचने के बाद 08.11.2025 को सुबह 08:10 बजे भर्ती कराया गया। भर्ती के बाद उसी दिन 09:25 बजे रात्रि को मृत्यु हो गयी। पुलिस को सूचित कर डेडबॉडी का पोस्टमार्टम किया गया। सूचक के भाई की मृत्यु संचालक एवं उनके स्टाफ के मारपीट एवं लापरवाही के कारण हो गयी।

उभय पक्ष को सुना। अभिलेख एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्रियों का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि इस आपराधिक वाद में रिबार्न फाउंडेशन नामक नशा मुक्ति केन्द्र, नन्हकु मंडल टोला के संचालक एवं पाँच सहयोगियों के विरूद्ध धारा–103(1)/3(5) BNS के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज की गयी है तथा आवेदक कथित उक्त केन्द्र का एक कर्मचारी है,

न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम्, खगड़िया।
अग्रिम जमानत आवेदन सं0–270/2026
मुफ्फसिल थाना काण्ड सं0–155/25

लगातार
04.04.2026

जिस पर अन्य सह–अभियुक्तों के साथ मिलकर समान आशय से सूचक के भाई इम्तियाज आलम (मृतक) को ईलाज के बहाने बुलाकर रॉड, लाठी–डंडा, लात–मुक्के से बुरी तरह से मारपीट कर गम्भीर रूप से जख्मी करने का गम्भीर आरोप है, जिसकी मृत्यु ईलाज के दौरान हो गयी। अभिलेख पर तलाशी–सह–जब्ती सूची की सत्यापित प्रति उपलब्ध है, जिसके अनुसार, नशा मुक्ति केन्द्र में लगे सी.सी.टी.भी. डिभाईस से हार्ड डिस्क बरामद किया गया है। मामले में अनुसंधान जारी है तथा कारित अपराध मानव वध से संबंधित है, जो अत्यंत ही गम्भीर प्रकृति का अपराध है, ऐसी दशा में आवेदक/अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर छोड़ा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं मामले की प्रकृति एवं गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए आवेदक/अभियुक्त की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन **अस्वीकृत** किया जाता है।

लेखापित एवं शुद्धिकृत
संजय कुमार
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम्,
खगड़िया।

Date of Judgement/Order	04.04.26
Date of Reserving Judgement/Order	—
Uploading Date	07.04.26
Uploading by	Nitish Kumar, (D.E.O.)